



कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ़

अरण्य भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, केपिटल कॉम्प्लेक्स, नया रायपुर - 492002

(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक - भू-प्रबंध)

दूरभाष: 0771 - 2512840

ई - मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र./भू-प्रबंध/विविध/115-442/3413

रायपुर, दिनांक 26/11/2017

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय)

भारत सरकार - पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

क्षेत्रीय कार्यालय - वेस्ट सेंट्रल रीजन

ईस्टर्न विंग - भू तल, न्यू सेक्रेटेरियेट भवन - VCA के सामने

सिविल लाईन, नागपुर - 440001

विषय :-

Diversion of 459.522 ha. of Forest Land in favour of Chhattisgarh East West Rail Corridor Ltd, for Construction of East West Rail Corridor from Marwahi Forest Division (77.178 ha.) and Katghora Forest Division (382.344 ha.), under Forest (Conservation) Act, 1980 in Bilaspur and Korba District in the State of Chhattisgarh.

— पंजीयन क्रमांक / FP/CG/RAIL/ 6817/ 2014

- संदर्भ: 1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, नागपुर का पत्र क्रमांक FC-III/CH-22/2017-NGP/2839 दिनांक 03.11.2017
2. मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त का पत्र क्रमांक/ तक / 2514 दिनांक 25.11.2017

—0—

विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें (छाया प्रति संलग्न)।

भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, नागपुर द्वारा संदर्भ

पत्र-1 से प्रकरण के संबंध में 20 बिन्दुओं पर अतिरिक्त जानकारी चाही गई है।

संदर्भित पत्र - 2 के माध्यम से उक्त जानकारी मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त द्वारा बिन्दुवार प्रेषित

किया गया है, जो निम्नानुसार है:-

क्र.	चाही गई जानकारी	प्रतिवेदन
i	Date of submission of Part-II and its Original copy, have not been mentioned by DCF, Marwahi, Further, names of signing authorities have not been mentioned in the Part-II and Part-III.	मरवाही वन मंडल से Part-II हस्ताक्षर उपरांत संलग्न है। (Annexure - 1)
ii	Differential GPS maps of the area proposed for diversion as well as area identified for raising compensatory afforestation have not been submitted. The same needs to be submitted, along with soft copies of their KML/Shape files, by the State Government.	व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित क्षेत्र तथा क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु चयनित क्षेत्रों का पूर्व में ही DGPS Map, KML file सहित अपलोड कर दिया गया था। पुनः DGPS Maps की हार्ड कॉपी तथा संबंधित KML File की CD प्रस्तुत है। (Annexure - 2)
iii	DCFs concerned have not certified that survey number pertaining to the non-forest land involved in the proposal do fall in the category of deemed forest land on which provisions of the Forest (Conservation) Act, 1980 are applicable.	व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित परियोजना के गैर वनभूमि क्षेत्र में Deemed Forest Land उपलब्ध नहीं है। इस संबंध में संबंधित क्षेत्रीय वनमण्डलाधिकारी कटघोरा/मरवाही द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न है। (Annexure - 3)

iv	<p>Girth wise abstract detail of tree enumeration has not been submitted along with the proposal. Further Part-II submitted online mentioned density of 0.4 to 0.5 in Marwahi Forest Division while the State Government in its forwarding letter has mentioned density as 0.1 to 0.5 Discrepancy needs to be rectified by the State Government.</p>	<p>वृक्ष गणना का Grith Wise abstract पूर्व में ऑन लाईन फॉर्म में अपलोड किया गया है परन्तु त्रुटिवश प्रस्ताव के साथ हार्ड कॉपी प्रस्तुत नहीं की गयी थी जो संलग्न कर प्रस्तुत की जा रही है। (Annexure - 4)</p> <p>मरवाही वनमण्डल के अंतर्गत कुल 77.178 हे. का व्यपवर्तन प्रस्ताव प्रेषित किया गया है जिसमें प्रस्तावित भूमि का घनत्व भाग- II में त्रुटिवश 0.4 से 0.5 का उल्लेख है जबकि वास्तविक में राजस्व वनभूमि एवं संरक्षित वन का घनत्व 0.1 से 0.5 है। सुधार कर मरवाही वनमण्डल का संशोधित भाग- II पुनः प्रस्तुत है। (Annexure - 1)</p>
v	<p>Detail of CA sites submitted along with the proposal is inconsistent with the detail submitted online As per CA details provided in online Part-II CA over 18 sites has been proposed involving an area of 1436.103 ha of forest land. Exact detail of sites identified for CA and their corresponding KML/Shape files needs to be uploaded on the online portal.</p>	<p>वर्तमान में CA कार्य 16 भाग में (Patches) 919.046 हे. में प्रस्तावित है जिसे आनलाईन में अपलोड किये गये क्रमानुसार व्यवस्थित कर पुनः हार्डकापी एवं साफ्टकापी KML Files के साथ प्रस्तुत है। (Annexure - 5, 2)</p>
vi	<p>Comprehensive details of compensatory afforestation stipulated and progress made thereof till date, in lieu of diversion of forest land under various categories in Forest Divisions of Marwahi and Katghora, has not been provided in the proposal. Further, progress of CA has been observed to be very slow as so for compensatory afforestation has been undertaken only over 1256.186 ha and 1465.575 ha against the diverted forest land of 4480.967 ha (47 cases) and 3157.507 ha (18 cases) respectively in Korba and Bilaspur District.</p>	<p>कोरबा जिले के अंतर्गत कटघोरा वनमण्डल में 1256.186 हेक्टेयर तथा कोरबा वनमण्डल में 2799.096 हे., कुल 4055.282 हे. का क्षतिपूर्ति वनीकरण कार्य किया जा चुका है। क्षतिपूर्ति वनीकरण कार्य क्रमबद्ध तरीके से शासन से स्वीकृति प्राप्त होते ही किया जाता है। वर्तमान वर्ष 2017-18 में इस वनमंडल के अंतर्गत CA हेतु 178.062 हे. क्षेत्र का आंबटन एवं स्वीकृति प्राप्त होकर वर्ष 2018-19 में वृक्षारोपण हेतु क्षेत्र तैयारी किया जा रहा है।</p> <p>बिलासपुर जिला के अंतर्गत मरवाही वनमण्डल में 630.00 हे. तथा बिलासपुर वनमण्डल में 299.00 हे., कुल 929.00 हे. में क्षतिपूर्ति वनीकरण कार्य हो चुका है।</p> <p>अतः शेष क्षेत्रों में भी क्षतिपूर्ति वनीकरण कार्य स्वीकृति प्राप्त कर शीघ्र ही पूर्ण कर लिया जायेगा।</p>

vii	<p>A report containing study conducted by the User Agency for the examination of alternatives and selection of final alignment, referred in the project justification note may be submitted by the State Government. Neither maps nor their KML/Shape files, depicting alternative alignments, have been submitted by the User Agency. Further, as per detail furnished in the justification note, no consultation was made with the State Forest Department before finalization of the alignment. Therefore, the certification of the alternative alignments by the DCFs concerned appears to have been made without physically verifying the information provided by the User Agency. A justification in this regard may be obtained from the DCFs concerned.</p>	<p>वन मंडलाधिकारी, कटघोरा से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार आवेदक संस्था द्वारा चयनित फाईनल एलाइनमेंट के संबंध में पृथक से कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया। परन्तु आवेदक संस्था द्वारा प्रस्तुत किये गये नक्शे पर दर्शित 03 एलाइनमेंट का एक तुलनात्मक तालिका तैयार कर परीक्षण करते हुए न्यूनतम वनक्षेत्र प्रभावित होने वाले अलाइनमेंट को चयन किया गया है, उस पर वन क्षेत्र में रेल लाईन की लम्बाई (63961.7499 र.मी.) कम से कम है, घनत्व भी (0.1 से 0.5) कम है, तथा न्यूनतम वनक्षेत्र 459.52 हे. प्रभावित हुआ है और ज्यादातर रेलवे लाईन इसमें 85% समतल क्षेत्र को उपयोग करते हुए गुजरेगी। अतः वर्तमान में प्रस्तावित एलाइनमेंट को चयनित कर व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित किया गया है। तुलनात्मक विवरण पत्रक अवलोकनार्थ संलग्न है। (Annexure - 6)</p> <p>व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित प्रकरणों में केवल अंतिम रूप से चयनित व्यपवर्तन क्षेत्र का ही क्षेत्रीय वनमण्डलाधिकारी द्वारा स्थल का भौतिक निरीक्षण कर प्रतिवेदन प्रपत्र – 4 के भाग – II में प्रेषित करने के निर्देश भारत सरकार से प्राप्त है, जिसके पालन में कार्यवाही की जाती है।</p>
viii	<p>Examination of the cost benefit analysis, submitted along with the proposal, revealed that CB ratio exorbitantly high due to defective tools used for the estimation of parameters specified in the Guidelines dated 1.08.2017. CB analysis needs to be re-worked by applying appropriate techno-economic tools to suitably assess the parameters for assessment of losses and benefits of the project.</p>	<p>भारत सरकार के नवीनतम गाईडलाइन दिनांक 01.08.2017 के अनुसार काष्ठ बेनिफिट अनालिसिस संलग्न है। (Annexure -7)</p>
ix	<p>The proposal submitted in hard copy mentioned the area proposed for diversion as 459.522 ha while in the online portal area applied is 459.523 ha. Similarly, certain documents submitted along with the proposal mentioned area as 478.161 ha and 458.523 ha Discrepancy may be rectified by the State Government.</p>	<p>वन मंडलाधिकारी, कटघोरा से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार प्रकरण में आनलाईन आवेदन करते समय आवेदक संस्थान द्वारा 459.523 हे. हेतु आवेदन किया है किन्तु वास्तविक प्रस्तावित क्षेत्र के समस्त वन भू-भाग का परीक्षण करने पर 459.522 हे. ही है। जो संस्थान द्वारा आवेदित क्षेत्र के अंतर्गत है। अतः प्रस्ताव के हार्डकापी में उल्लेखित 459.522 हे. को ही मान्य करने का कष्ट करें।</p>




x	Area calculation statement has not been submitted along with the proposal. Complete area calculation statement, tabular form, indicating length and breadth, for each forest patch may be submitted by the State Government. Details of area of forest patches being bifurcated from the proposed alignment, indicating area on both left and right hand sides, may also be submitted by the State Government.	आवेदित वन क्षेत्र का गणना पत्रक संलग्न है। (Annexure -7"A")
xi	Component wise breakup of the forest land proposed land, if applicable, may be provided by the State Government.	वन भूमि का विवरण पेंचवार संलग्न है। (Annexure - 8)
xii	Certificates from the DCFs concerned certifying the barest minimum requirement of forest land, location of project outside Pas/WLS, location of protected archaeological/heritage site /defence establishment sites, no violation of the Forest (Conservation) Act, 1980 etc. have not been submitted along with the proposal.	प्रस्तावित क्षेत्र के समीप में किसी भी प्रकार का PAs/WLS, Archaeological / Heritage site, Defence establishment sites, उपलब्ध नहीं है एवं नवीन चेक लिस्ट अनुसार चेक लिस्ट क्र. 10 में न्यूनतम वन क्षेत्र उपयोग होने का उपयोगिता प्रमाण पत्र, (Annexure - 9) चेक लिस्ट क्र. 18 में उल्लंघन नहीं होने का प्रमाण पत्र (Annexure - 10) एवं चेक लिस्ट क्र. 27 में ऐतिहासिक स्थल नहीं होने का प्रमाण पत्र (Annexure - 11) प्रस्तुत किया गया है, तथा प्रस्तावित क्षेत्र PAs/WLS क्षेत्र से बाहर होने का प्रमाण पत्र (Annexure - 12) में संलग्न है।
xiii	As per details of flora and fauna submitted along with the proposal, it is observed that area is inhabited by several Schedules-I and Critically Endangered species. Comments of the PCCF (Wild life) on the impact of the project on the Schedule-I species and requirement of a plan, if any, for special protection and conservation measures of the species and other important wildlife in the area have not been submitted along with the proposal.	वन मंडलाधिकारी, कटघोरा से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार परियोजना क्षेत्र में उपलब्ध वन्य प्राणियों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु एक विशेष वन्य प्राणी संवर्धन योजना TFRI द्वारा तैयार की जाकर क्षेत्रीय वनमण्डलाधिकारी द्वारा अनुमोदनार्थ दिनांक 13/04/2017 द्वारा प्रस्तुत की गयी है। प्रस्तावित योजना के अनुसार क्षेत्र के उपचारण हेतु राशि जमा करने बाबत आवेदक संस्थान वचनपत्र संलग्न है। 2
xiv	A cross-sectional map depicting the RoW proposed for the construction of railway line and other ancillary structures proposed in the RoW may be submitted by the State Government.	आवेदक संस्थान द्वारा प्रस्तुत प्रभावित रेल लाईन का कॉश सेक्शन संलग्न है। (Annexure - 13)
xv	Examination of the compliance of Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 revealed that complete documentary evidences in support of settlement of rights under the Act needs to be submitted in accordance with clause (a) of Form-I annexed to the MoEF&CC's advisory dated 5.07.2013.	MoEF&CC's advisory dated 05.07.2013 अनुसार FRA सर्टिफिकेट चेक लिस्ट क्रमांक 34 में प्रस्तुत किया गया था। वनाधिकार प्रमाण पत्र वितरित व्यक्तियों की सूची आयुक्त बिलासपुर द्वारा दिये गये R & R Plan में संलग्न है। (Annexure - 14)

xvi	The State Government may obtain an undertaking from the User Agency in accordance with the provisions of the Guidelines dated 07.01.2013 issued by the MoEF&CC in this regard.	आवेदक संस्था द्वारा 03 अल्टरनेटिव अलाइनमेंट हेतु उपलब्ध क्षेत्र का नक्शा, रकबा आदि जानकारी संलग्न है (Annexure - 15)।
xvii	Copy of R&R Plan for the displacement of 1644 families proposed to be displaced during the construction of the project has not been submitted along with the proposal.	वन मंडलाधिकारी कटघोरा से प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार R&R Plan पूर्व में प्रस्तुत किया गया था छायाप्रति पुनः संलग्न है। परन्तु प्रस्तुत योजना में 1644 परिवार की सूची संलग्न है। (Annexure - 14)।
xviii	The State Government may furnish its comments on construction, if any undertaken by the User Agency on Forest/Revenue Forest land especially from Km 98 to 135 Km without prior approval of Central Government under the Forest (Conservation) Act, 1980 and also complete detail of area involved in the project i.e. including the connecting railway line from the mine head to the main railway corridor.	1. दिनांक 26.04.2017 को वन विभाग एवं आवेदक संस्थान के संयुक्त निरीक्षण प्रतिवेदन के अनुसार कि.मी 98.6 से 135 कि. मी के मध्य वन भूमि में कार्य होना नहीं पाया गया है। (Annexure - 16) 2. वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन न होने का प्रमाण पत्र पूर्व में जमा किया गया है।
xix	Detail of total forest land involved in the all three corridor of the project and status of grant of forest clearance may be intimated by the State Government.	परियोजनावार वन क्षेत्र की सूची आवेदक विभाग से प्राप्त कर संलग्न है। (Annexure - 17)
xx	Details of employment potential in terms of man days of skilled, semiskilled and unskilled persons on permanent (direct and indirect) and temporary (direct and indirect) basis have not been provided.	आवेदक विभाग के द्वारा उपलब्ध कराई गई सृजत रोजगार की सूची संलग्न है। (Annexure - 18)

अतः मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त के प्रतिवेदन को मान्य करते हुए प्रकरण आगामी REC में विचारार्थ रखने का अनुरोध है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार (Annexure - 1 to 18)


26/11/2017
(एस. एस. बजाज)
अ.प्र.मु.व.स (भू - प्रबंध/व.सं.अ)
छत्तीसगढ़


क्र./भू-प्रबंध/विविध/115-442/3414

रायपुर, दिनांक 26/11/2017

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

1. अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर।
- संलग्न:- उपरोक्तानुसार (Annexure - 1 to 18)
2. मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर, छत्तीसगढ़।
3. वन मंडलाधिकारी, कटघोरा वन मंडल, कटघोरा, छत्तीसगढ़।
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ ईस्ट रेल्वे लिमिटेड, द्वितीय तल, सी.एस.आई.डी.सी, कामर्शियल काम्पलेक्स, महादेव घाट रोड़, रायपुरा चौक, रायपुर, छत्तीसगढ़।

वर्तमान में किसी भी क्षेत्र में कार्य प्रारंभ करने की अनुमति नहीं है।


26/11/2017
अ.प्र.मु.व.स (भू - प्रबंध/व.सं.अ)
छत्तीसगढ़